रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02122025-268164 CG-DL-E-02122025-268164

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 795]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 2, 2025/अग्रहायण 11, 1947

No. 795]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 2, 2025/AGRAHAYANA 11, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 881(अ).— केन्द्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ञ) और (थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक मापविज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) दूसरा (संशोधन) नियम, 2025 है।
 - (2) ये 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होंगे।

8089 GI/2025 (1)

2. विधिक मापविज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 26 के, खंड (क) में, पहले परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थातु: -

"परंतु यह और कि इस खंड के उपबंध पान मसाला पर लागू नहीं होंगे;"।

[फा. सं. I-10/4/2025 डब्ल्यू एंड एम]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 202(अ), तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. संख्या 778 (अ) तारीख 23 अक्टूबर, 2025 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2025

- **G.S.R. 881(E).** In exercise of the powers conferred by clauses (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely:-
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Legal Metrology (Packaged Commodities) Second (Amendment) Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of February, 2026.
- 2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, in rule 26 in clause (a), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the provisions of this clause shall not apply to pan masala.".

[F. No. I-10/4/2025-W&M] ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 202 (E), dated the 7th March, 2011 and was last amended *vide* number G.S.R. 778 (E), dated 23rd October, 2025.